190 (4)

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–13) विभाग

क्रमांक प. 6(19)गृह–13/2006 जयपुर, दिनांक: 3 NOV 2011

आयुक्त, मुख्यालय
एवं नोडल अधिकारी विवाह पंजीयन,
नगर निगम, जयपुर।

विषय:–विवाह के अनिवार्य पंजीयन के संबंध में विभिन्न प्रकरण बिन्दुओं पर चाहे गये मार्गदर्शन बाबत।

संदर्भ:–आपके कार्यालय पत्र क्रमांक एफ. 25/ननिज/ज.मु./2011/1327 दिनांक 09.09.2011 एवं क्रमांक 1419 दिनांक 19.10.2011 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयान्तर्गत पत्र में अंकित विवाह के अनिवार्य पंजीयन के संबंध में विभिन्न प्रकरण बिन्दुओं, जिनके अन्तर्गत विवाह पंजीयन के संबंध में वांछित मार्गदर्शन मांगा गया हैं, के सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रांसफर पिटीशन (सिविल) संख्या 291/2005 श्रीमती सीमा बनाम अश्विनी कुमार के अन्तर्गत प्रदत्त निर्णय/आदेश दि. 14.02.2006 की त्वरित अनुपालना में गृह विभाग की ओर से दिनांक 22.05.2006 को विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये, जिनके अनुसार राज्य में सम्पन्न होने वाले विवाहों के अनिवार्य पंजीयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी तथा इसके पश्चात् इन दिशा–निर्देशों की विधिक रचना के रूप में अधिनियम "राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,2009" विनिर्मित किया जाकर राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11.09.2009 को प्रकाशित किया जा चुका है। इस अधिनियम के तहत वांछित नियम बनाया जाना प्रक्रियाधीन है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम "राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,2009" की धारा 3 के अन्तर्गत निहित प्रावधान अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक हैं, के बीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा।

इसी सन्दर्भ में नगर निगम, जयपुर द्वारा प्रेषित विभिन्न प्रकरण बिन्दुओं के क्रम में राज्य मे अनुष्ठापित विवाहों के संबंध में अपवाद स्वरूप बिन्दुओं का वांछित स्पष्टीकरण इस प्रकार से हैं:–

1. उक्त अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान अंकित हैं कि (अधिनियम का कतिपय विवाहों पर लागू न होना) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872, (1872 का केन्द्रीय अधिनियम, सं016), पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम, सं0 3) या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम सं042) के अधीन अनुष्ठापित विवाहों का इस अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीयन नहीं होगा। वस्तुतः इन तीनों अधिनियम के अन्तर्गत सम्पन्न विवाहों के पंजीयन की अनिवार्य व्यवस्था निहित है। जबकि अन्य विवाह अधिनियमों में विवाह पंजीयन को एच्छिक अधिशाषित किया हुआ है।
2. उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत स्पष्ट अंकित है कि पक्षकार या जहां पक्षकार इक्कीस वर्ष के न हो, वहां पक्षकारों के माता–पिता या यथास्थिति संरक्षक विवाह के अनुष्ठापन की तारीख से तीस दिवस की अवधि में संबंधित रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
3. वैवाहिक पक्षकार के किसी भी जाति अथवा धर्म का होने पर, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 20 में वर्णित अधिनियमों को छोड़कर अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित करता है तो विवाह पंजीयक आवेदकों से आवश्यक साक्ष्य, शपथ–पत्र एवं स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् विवाह पंजीयन कर विवाह का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।
4. विभिन्न धर्मों के विवाह अधिनियम, जिनमें विवाह के पंजीयन की अनिवार्य व्यवस्था नहीं होकर ऐच्छिक है, के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित होने की विभिन्न प्रथाऐं/रीतियां प्रचलित है, जिसमें आर्य समाज द्वारा सम्पन्न कराये जाने वाले विवाह भी सम्मिलित है। ऐसे अनुष्ठापित विवाहों को भी उक्त अनिवार्य

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत विवाह पंजीयक आवश्यक साक्ष्य, शपथ–पत्र एवं स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् विवाह पंजीयन कर विवाह का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

ऊपर वर्णित विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम "राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,2009" स्वतः स्पष्ट हैं एवं यदि इस अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों को निहित भावार्थ सहित अध्ययन करने पर व्यक्त की गयी अन्वीक्षाओं (Quarries) का स्वतः समाधान हो जाता। तथापि नगर निगम, जयपुर से प्राप्त पत्र में अंकित प्रकरण विन्दुओं का वांछित बिन्दुवार वर्णन निम्न प्रकार से हैं :–

क्र. सं.	बिन्दु	वांछित सूचना
1.	हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन कौन–कौन से विवाहों का पंजीयन नगर निगम द्वारा किया जाना है।	हिन्दु विवाह अधिनियम के संबंध में प्रशासनिक विभाग विधि विभाग है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीयन अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर नामांकित है।
2.	आर्य समाज मे सम्पन्न विवाहों का पंजीयन नगर निगम, जयपुर द्वारा किया जावे या नहीं अगर किया जावे तो क्या आर्य समाज में सम्पन्न सभी विवाहों के लिये पंजीयन से पूर्व संबंधित पुलिस अधीक्षक/थानाधिकारी से दोनों प्रार्थीगण की संकुगत मसलन की जांच एवं आर्य समाज में शादी सम्पन्न कर अंकित पते पर बतौर पति–पत्नि एक साथ निवास करने के संबंध में जांच रिपोर्ट अनुकूल आने पर ही किया जावें। आर्य समाज में सम्पन्न होने वाले विवाह कौनसे अधिनियम के अन्तर्गत आते है कृपया स्पष्ट करावें।	विभिन्न धर्मो के विवाह अधिनियम, जिनमें विवाह के पंजीयन की अनिवार्य व्यवस्था नहीं होकर ऐच्छिक हैं, के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित होने की विभिन्न प्रथाऐं/रीतियां प्रचलित है, जिसमें आर्य समाज द्वारा सम्पन्न कराये जाने वाले विवाह भी सम्मिलित हैं। ऐसे अनुष्ठापित विवाहों को भी उक्त अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत विवाह पंजीयक आवश्यक साक्ष्य, शपथ–पत्र एवं स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् विवाह पंजीयन कर विवाह का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।
3.	मुस्लिम विवाहों का विवाह पंजीयन किया जावे या नहीं अगर किया जावे तो आवेदकों से क्या–क्या कार्यवाही करवाई जानी है। राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 16) में मुस्लिम विवाहों का विवाह पंजीयन किस प्रकार किया जाना है या नहीं किया जाना है इसका कोई विवरण नहीं है।	वैवाहिक पक्षकार के किसी भी जाति अथवा धर्म का होने पर, यदि वह उक्त अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 20 में वर्णित अधिनियमों को छोड़कर अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित करता हैं (जिसमें मुस्लिम विधि के अन्तर्गत अनुष्ठापित विवाह भी सम्मिलित हैं), तो विवाह पंजीयक आवेदकों से आवश्यक साक्ष्य, शपथ–पत्र एवं स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् विवाह पंजीयन कर विवाह का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।
4.	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 3 का अवलोकन करावे विवाह के रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य होना:–इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक है के बीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा। इस कारण विदेशी नागरिकों जिसमें पति–पत्नि दोनों या पति एवं पत्नि दोनों में से एक विदेशी नागरिक होने पर विवाह पंजीयन नगर निगम द्वारा किया जावे या नहीं अगर नगर निगम द्वारा नहीं किया जावे तो इनका विवाह पंजीयन कहा होगा एवं नगर निगम द्वारा किया जावे तो आवेदकों से क्या–कया कार्यवाही करवाई जानी हैं एवं राजस्थान विवाहों के नियम बनने तक क्या कार्यवाही की जानी है।	अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 3 में निहित प्रावधान अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक हैं, के बीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा, स्वतः स्पष्ट है। विदेशी नागरिकों, जिसमें पति–पत्नि दोनों या पति एवं पत्नि दोनों में से एक विदेशी नागरिक होने पर अनुष्ठापित होन वाले विवाह विशेष विवाह की श्रेणी में आते हैं, जिन पर विशेष विवाह अधिनियम,1954 लागू होगा, जिसका प्रशासनिक विभाग विधि विभाग है एवं जिला कलेक्टर जिला विवाह पंजीयन अधिकारी है।
5.	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (2009 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 8 का अवलोकन करावें ज्ञापन प्रस्तुत करने का कर्त्तव्य (1) पक्षकार, या जहां पक्षकार इक्कीस वर्ष के न हो वहां पक्षकारों के माता–पिता या, यथास्थिति, संरक्षक विवाह के अनुष्ठापन की तारिख से तीस दिवस की कालावधि के	ऐसे आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के पश्चात् पूर्ण दस्तावेजों की जांच करने एवं विवाह पंजीयक की संतुष्टि पर विवाह पंजीयन कर सकेगा। लेकिन साथ ही विवाह पंजीयक को ऐसे पक्षकारों के माता–पिता/संरक्षक एवं अन्य के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत वांछित कार्यवाही करने हेतु जिला विवाह पंजीयन

	भीतर-भीतर, उस रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगे, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है या दोनों पक्षकारों या उनमें से कोई निवास करता है। इसका आशय यह हुआ कि अगर पक्षकार 21 वर्ष से कम होने पर भी विवाह पंजीयन किया जावे लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि पति-पत्नि दोनों या उनमें से कोई एक शादी के समय नाबालिग यानि 18 वर्ष से कम हो तो विवाह पंजीयन किया जावे या नहीं स्पष्ट करावें एवं राजस्थान विवाहों के नियम बनने तक क्या कार्यवाही की जानी है।	अधिकारी (जिला कलेक्टर) को सूचित किया जाना वांछनीय है। यद्यपि ऐसे अनुष्ठापित विवाह के पक्षकारों के नाबालिग होने की दशा में पंजीयन पर रोक नहीं है। राजस्थान विवाहों के नियम बनने तक इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 6(19) गृह-13/2006 दिनांक 14.12..2010 के अनुसार कार्यवाही की जानी है।
6.	राजस्था विवाहो का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (2009 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 10 का अवलोकन करावे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह का रजिस्ट्रीकरणः-इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठापित किसी भी विवाह का, धारा 7 के अधीन विहित प्रारूप में ज्ञापन प्रस्तुत करने और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जावे, रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा। इसमें किसी भी विवाह का इसमें कौन-कौन से विवाहों का पंजीयन नगर निगम द्वारा किया जाना स्पष्ट करावे एवं राजस्थान विवाहों के नियम बनने तक क्या कार्यवाही की जानी है।	विभाग द्वारा पूर्व में प्रसारित दिशा-निर्देश दिनांक 22.05.2006 एवं इसके पश्चात लागू राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 में स्पष्ट अंकित है। अर्थात अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 20 में वर्णित जिन विवाह अधिनियमों में विवाह पंजीयन की प्रक्रिया एवं प्रावधान अनिवार्य होना अन्तर्निहित हैं, उनसे संबंधित विवाहों का इस अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीयन नहीं किया जाना है।
7.	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (2009 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 20 का अवलोकन करावे अधिनियम का कतिपय विवाहों पर लागू न होना- यह अधिनियम भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872, (1872 का केन्द्रीय अधिनियम, सं016), पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम, सं0 3) या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम सं042) के अधीन अनुष्ठापित विवाहों पर लागू नहीं होगा। इस कारण इन अधिनियमों के अन्तर्गत होने वाले विवाहों का पंजीयन नगर निगम द्वारा नहीं किया जाना है इन अधिनियमों में कौन-कौन से विवाह आते है एवं इनका पंजीयन कहा होगा यह स्पष्ट करावें एवं राजस्थान विवाहों के नियम बनने तक क्या कार्यवाही की जानी है। इसके अलावा अन्य कोई विवाहों का अधिनियम हो तो उस अधिनियम में कौन-कौन से विवाह आते है एवं उनका विवाह पंजीयन नगर निगम द्वारा किया जाना है या नहीं स्पष्ट करावे।	यह धारा स्वतः स्पष्ट है। इन अधिनियमों में विवाह पंजीयन की प्रक्रिया एवं प्रावधान अनिवार्य होना विद्यमान हैं, जिनके तहत विवाह का पंजीयन कराया जाता है। इन अधिनियमों का प्रशासनिक नियन्त्रण विधि विभाग का है एवं संबंधित जिला कलेक्टर्स को जिला विवाह पंजीयन अधिकारी नामांकित किया हुआ है। उक्त अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अतिरिक्त अन्य किसी विवाह अधिनियम एवं उसके प्रावधानों के संबंध में अग्रिम किसी भी प्रकार की जानकारी प्रदान करने हेतु विधि विभाग ही सक्षम है।
8.	पति-पत्नि अलग-अलग जाति और अलग-अलग धर्म के होने पर इनका नगर निगम द्वारा विवाह पंजीयन किया जावे या नही।	वैवाहिक पक्षकार के किसी भी जाति अथवा धर्म का होने पर, यदि वह उक्त अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 20 में वर्णित अधिनियमों को छोड़कर अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित करता है तो विवाह पंजीयक आवेदकों से आवश्यक साक्ष्य, शपथ-पत्र एवं स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् विवाह पंजीयन कर विवाह का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
9.	इसके अलावा अन्य कोई विवाहों का अधिनियम हो तो उस अधिनियम में कौन-कौन से विवाह आते है एवं उनका विवाह पंजीयन नगर निगम द्वारा किया जाना है या नहीं स्पष्ट करावे।	उक्त राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 की धारा 20 स्वतः स्पष्ट है, जिसमे उल्लेखित अधिनियमों के अतिरिक्त अन्य अधिनियमों में विवाह अनुष्ठापित होता है तो विवाह पंजीयक आवेदकों से

193

		आवश्यक साक्ष्य, शपथ–पत्र एवं स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् विवाह पंजीयन कर विवाह का प्रमाण–पत्र जारी करेगा। इस संबंध में अग्रिम किसी भी प्रकार की जानकारी विधि विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

तद्नुसार आपके कार्यालय से प्राप्त प्रकरण बिन्दुओं के सन्दर्भ में ऊपर वर्णित बिन्दुओं पर वांछित बिन्दुवार उत्तर सूचना सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(आर0सी0 गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान, ...।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर (महापंजीयक विवाह)।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव